बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने मढे केंद्र पर आरोप

ब्यूरो नयी दिल्ली

बिहार सरकार ने केंद्र को राज्य के 12 शहरों के लिए स्लम सर्वे, स्लम मैपिंग का प्रस्ताव भेजा. पांच शहरों के लिए ये प्रस्ताव मंजूर हो गये लेकिन सात शहरों के प्रस्ताव धूल फांक रहे हैं. इतना ही नहीं शहरी गरीबों को संपत्ति के अधिकार देने संबंधी प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है. उक्त बातें केंद्र द्वारा राजीव गांधी आवास योजना पर आयोजित एक सम्मेलन में सामन आयीं. इसमें बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने राज्य द्वारा भेजे गये विभिन्न प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति करने की मांग की.

50 % ही केंद्रीय मदद

उन्होंने कहा कि बिहार अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस पहल में केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता की जरूरत है. उन्होंने आवास एवं मूलभूत बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक आधारभूत संरचना मद में केंद्रीय सहायता का हिस्सा 50 प्रतिशत से बढा कर 90 प्रतिशत तक करने की मांग की. वहीं, उन्होंने भू-अर्जन के लिए राज्य को अलग से कम-से-कम भूमि अर्जन लागत की 75 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने तथा लाभांवितों के अंशदान की निर्धारित 12 प्रतिशत राशि को दो प्रतिशत तक रखने की भी मांग रखी.

राज्य सरकार की तैयारी

राष्टीय स्लम नीति 2001 के अनुरूप बिहार द्वारा भी मलिन बस्ती नीति का प्रारूप तैयार किया गया है. इसमें शहरों को झुग्गी एवं मलीन बस्तीविहीन बनाने के दृष्टिकोण शामिल है. इसके अलावा शहरी क्षेत्र के पुनर्वास के लिए जहां सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहां निःशुल्क भूस्वामित्व देते हुए पुनर्वास का प्रयास करना और जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पर भू-अर्जन करके उक्त प्रयाजन की निःशुल्क व्यवस्था करने को भी शामिल किया गया है.

इसके लिए व्यय का वहन नगर विकास विभाग करेगा. हालांकि, निःशुल्क भूमि प्रदान करने की व्यवस्था को अनिवार्य नहीं बनाया गया है. सम्मेलन में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कुमारी शैलजा के साथ ही लगभग सभी राज्यों के शहरी विकास एवं आवास मंत्रियों ने भाग लिया.ी एक